

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बंदाकु

गिराई

बनाम

राजारायण

दमा नं० १८/२००१

सन् २००१

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वहनीलाल वसु को तहसील जारी कर पञ्चरली वस्ति कुनेगाव दिवाक १८/११/२००१ को देरा है।

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दीसा)
प्रशासन गाँवों के संग अधिवास-२०२१
शिखिर ग्राम पंचायत. २५५-६७५५ (दि० ११)

२,
५०७,
नमि
आन
१५/१२

१५/१२

पञ्चरली के हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/२००१ सा. रज. का. में व्यस्त होने से जमानत करीब पेश हो गई गत आदेश की तामील में दिनांक ३१/१/२२ को पेश है।

हस्ताक्षर

०१-१-२०२२

पञ्चरली पेश हुई। उमपपक (का. १)

उप वकील हाजिर आये। प्रकरण में विवादित आरागी व का. सा. प्रशा. गाँवों के संग में (म. ५०७) २०२१ शिखिर ग्राम पंचायत २५५/६७५ दिनांक १४/११/२१ को उपस्थित प्रकरण की तहसील के प्राथमिक डिफेंडि किया जाकर वहनीलाल वसु को विधिवत माने पर प्रकरण के मध्य विभागीय प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन के निदेशादि में आये है। वहनीलाल

१५/१२/२१

उत्तुत उ. रज. का. में तहसील है।

१५/१२/२१ (प्रतिवादी नं. २)



वसुधा शाही प.प.क्र 13/24/40/डि.क्र.2
 24.1.2022 के वाड शाही नूटिका वाडी
 प्रतिवादी को की कोर्टवादी में विभाजन
 प्रान्त लेवल को सिजायामे, जो परावर्तनी
 से वापस किसे। प्राप्त करे जात का
 उभयपक्ष (2019) ने मप वकील हाजिर
 मपाल हाकल अक्लिके किमा मुादत
 केजात पर लखनी प्रकट कर अनिमडिकी
 किमे जाते को निवेद किमा 'हदमती वाके
 आदोसिक, पर हातिठल किमे पदप्या
 वाडी प्रतिवादी वकील आता की गद
 हफ्त प्राप्त करेजात का अक्लिके
 किमा, करेजात तहलीलाए वलवा ड।
 वाडी प्रतिवादी की उपनिधित में तेषा
 किमे अपे है। करेजात पर पठकात के
 हाता 2 है

शिवपाल
 प्रतिवादी 7-8
 पदीमला 2
 (प्रतिवादी 2-3)
 सिद्ध
 (प्रतिवादी 2-7)
 Mukesh Singh Guler
 Chetam Guler

अतः तहलीलदार वलवा ले पत्राक
 40/डि.क्र.24/22 वाड अक्लिके उभयपक्ष
 की लदमती ले अनिमडिकी किमा जाते
 उचित प्रतीत होने ले प्राप्त करेजात
 स्वीकार किमा जाता हाव एत करेजात के
 अनिमडिकी किमा जाते है

- 1- आम मुके 2 प्रो तहलील वलवा के प्रालवना
- | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 495/1 | 496/1 | 496/2 | 521 | 522 | 476 |
| 0-0825 | 0-825 | 0-51 | 0-03 | 0-01 | 0-01 |
| 479/1 | 477/1 | 466/1 | 460/2 | 868/456/2 | |
| 0-125 | 0-01 | 0-06 | 0-08 | 0-07 | |
| 866/455/1 | 411/1 | 379 | 380 | 371/0 | 613/1 |
| 0-14 | 0-05 | 0-01 | 0-06 | 0-01 | 0-06 |
| 608/1 | 607/1 | 611/5 | 601/5 | | |
| 0-05 | 0-01 | 0-09 | 0-01 | | |
- किता 21 रकवा

अक्लिके
 बादी कुई

फंद अहकाम

(नियम 26)

जिला उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बांदा कुं

गिराज काठ

बनाम

हरिनाथन काठ

मुकदमा

दावा लकाका एकेडर/ 18/2009

सन् 2009

पिछ
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

1-69 है। गिराज पुत्र रामधन जाति सुर्जा
सांके (बोताहा रहेगा)

2) मा.वे.नं 495/2, 496/2, 483, 428,
0-825 0-825 0-27 0-24

489/1, 485, 479/2, 466/4, 460/1,
0-04 0-15 0-0250 0-06 0-08

868/456/4, 866/455/3, 425, 426, 411/2,
0-07 0-02 0-02 0-07 0-04

378, 377/2, 612/3, 613/1, 614/2, 605/3,
0-04 0-02 0-02 0-02 0-02 0-07

606/3, 604/1, 611/1, कुल कित 23

रकवा 1-69 है। रामधन, एकेडर का प्यो बरिबल
जाति सुर्जा सांके (बोताहा रहेगा)

3) मा.वे.नं 495/3, 496/3, 497/1,
0-0150 0-0250 0-0575

498/1, 489/2, 494/1, 477/2, 478/2,
0-0675 0-20 0-41 0-03 0-145

466/3, 460/4, 868/456/1, 866/452/2,
0-06 0-08 0-07 0-12

421, 422, 613, 608/3, 607/3, 611/2,
0-07 0-05 0-06 0-06 0-06 0-05

612/1, कित 19 रकवा 1-69 है। नमिरबल
ममरातिह प्यो उपा.स) सुर्जा पतिन उपा.स) (स)

जाति सुर्जा सांके (बोताहा रहेगा)

4) मा.वे.नं 497/2, 498/2, 490, 491, 505,
0-0825 0-0825 0-43 0-08 0-02

506, 507, 523/2, 478/3, 466/2, 460/3,
0-01 0-01 0-14 0-0250 0-06 0-08

अधिकारी
बांदा कुं

$\frac{868}{0-07} / \frac{456}{0-07} / 3, \frac{866}{0-12} / \frac{455}{0-07} / 4, \frac{412}{0-07}, \frac{419}{0-07},$
 $\frac{381}{0-05} / \frac{411}{0-01} / 2, \frac{612}{0-01} / 2, \frac{614}{0-05} / 1, \frac{605}{0-06} / 1, \frac{606}{0-07} / 1$

$\frac{604}{0-01} / 3, \frac{607}{0-07} / 001, \frac{611}{0-01} / 4$ कुल कितना 24 रकबा
 1-69 ई. ठा. खानाशान, राम 290 प, रंगाल, रंजी प्रसाद, मेवा राम पिं 0 ले 2 शम डि 0 5/6 डि 0 के
 रघुवीर प्रताप कवरपाल केलरी धरल कवरपाल
 डि 0/8 जारी गुजिल लांडे दे (वात दाल दे 8 30)

(5) श्री. खे. नं. $\frac{497}{0-01} / 3, \frac{498}{0-01} / 3, \frac{494}{0-03} / 2, \frac{489}{0-01} / 3,$
 $\frac{487}{0-03} / 1, \frac{484}{0-03} / 1, \frac{486}{0-02} / 1, \frac{523}{0-02} / 1, \frac{478}{0-02} / 1, \frac{460}{0-06} / 5$
 $\frac{454}{0-01} / 1, \frac{613}{0-02} / 2, \frac{612}{0-01} / 4, \frac{611}{0-02} / 3, \frac{604}{0-02} / 2, \frac{605}{0-01} / 2$
 $\frac{606}{0-01} / 2, \frac{607}{0-01} / 2, \frac{608}{0-01} / 2, \frac{599}{0-05}$ कित 20

रकबा 0.41 ई. ठा. खानाशान प्रताप राम धन डि 0/4 रामानि
 प्रसाद पिं 0 वरिवाल डि 0/4 रामेश्वर, अजगोले
 पिं 0 पालना, वीजा फली पालना डि 0/4 हरिनारायण
 राम 1-40 प, रंगाल, वही प्रसाद, मेवा राम पिं 0 ले 2 शम
 डि 0 5/24, रघुवीर प्रताप कवरपाल, केलरी धरल
 कवरपाल डि 0/24 स्व. गान्धि गुजिल लांडे दे
 (शामान्ती) खात दाल रहेगे। अलिफ डि 0 की
 जारी होकर तदना प्रसाद तदलील दाल व लवा
 राजेश्वर रिकार्ड में विधिवत प्रक्रिया के प्रमल
 इराफ के। पालना दत तदरील जारी हो।
 प्राप्त कुरेजित निर्णय डि 0 की का कर रहेगे।
 निर्णय सुनाया गया, प्रकरण फलतः
 शुभाल होकर बाड तकेभील दाखिल प्रमल है।

(नरिप कुमाल मीठा)
 उपखण्ड अधिकारी
 बांवीकुई